मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 (फाल्गुन 28, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 जुलाई, 2011 से 30 जून, 2012 तक) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री पारस जैन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के विरौरा से चौमोअस्तारी मार्ग निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री पारस दादा, यशपाल सिंह सिसोदिया, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, रतलाम स्थित सज्जन मिल के श्रमिकों के स्वत्वों का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य,उद्योग एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री जसवन्त सिंह हाड़ा, सदस्य, शुजालपुर से सारंगपुर सड़क मार्ग का कार्य अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य, बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों से शराब की दुकाने न हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, भोपाल स्थित महाविद्यालयों के खेल मैदान में अवैध निर्माण किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री चंपालाल देवड़ा, सदस्य, देवास जिले के महीगांव बांध की नहर क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री गिरीश गौतम, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ इकतीसवां से एक सौ उनचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री देवेन्द्र वर्मा, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू" सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का अठारहवां एवं उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री अंतर सिंह आर्य, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के अष्टम् , नवम् , दशम्, एकादश एवं द्वादश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अलकेश आर्य ,सदस्य, बैतूल जिले के-
- (क) विकासखण्ड आठनेर, माण्डवी आदि के कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
- (ख) ग्राम कुम्हारिया कोदारोटी,देवगांव में पानी की टंकी निर्माण किये जाने,
- (ग) विकासखण्ड आठनेर के ग्राम बोरपानी के नीमपानी,पनघट नदी पर बांध निर्माण किये जाने,
- (घ) ग्राम खेड़ला के एतिहासिक किले का जीर्णोध्दार किये जाने,तथा
- (ङ)ग्राम खेड़ी सावलीगढ़ की इन्द्रा कालोनी में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(2) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य, पश्चिम निमाड़(खरगौन) जिले के-
- (क) ग्राम रायझर के समीप नदी पर रिटर्निंग बाल का निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम नावघाटखेड़ी के समीप नर्मदा नदी पर पक्का घाट निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम अमलाथा से गंगवाड़ा मार्ग स्थित नदी पर पुल निर्माण किये जाने, तथा
- (घ) ग्राम रूपखेड़ा की बाकुड नदी पर रपटा निर्माण किये जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह,सदस्य, टीकमगढ़ जिले के-

(क) ग्राम पंचायत मोहनगढ़ के किला का जीर्णोध्दार किये जाने

(ख) ग्राम मोहनगढ़ के तालाब का सौदर्यीकरण किये जाने,

(ग) ग्राम धरमपुरा में प्राथमिक पाठशाला की बाउंड्रीवाल का निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम रामनगर के प्रायमरी पाठशाला की बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,

(ङ) ग्राम मोहनगढ़ मार्ग से हंसगौरा तक पक्का रोड निर्माण किये जाने,

(च) ग्राम मंडीखेड़ा मार्ग से नंदनपुर तक मार्ग निर्माण किये जाने, तथा

(छ) ग्राम गौर में रेस्ट हाउस का निर्माण किये जाने,

(4) श्रीमती साधना स्थापक,सदस्य, नरसिंहपुर जिले के-

(क) विकासखण्ड सांईखेड़ा के ग्राम नादनेर में प्राथमिक स्वा. केन्द्र खोले जाने,

(ख) गाडरवारा नगर के जगदीश वार्ड तथा माता वार्ड में नाली एवं सड़क निर्माण किये जाने, तथा

(ग) विकासखण्ड सांईखेड़ा एवं मिढ़वानी देवरी के तालाबों का जीर्णोद्धार किये जाने,

(5) श्री कुंवर सिंह टेकाम,सदस्य, सिंगरौली जिले के-

(क) ग्राम पंचायत पापल के अनुसूचित जाति बस्ती में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम निवास में कन्या हायर सेकेंड्री स्कूल स्वीकृत किये जाने, तथा

(ग) ग्राम पंचायत पापल में हैण्ड पंप खनन किये जाने,

(6) श्री मोतीलाल तिवारी,सदस्य: सतना जिले के ग्राम इटमा में शासकीय हाई स्कूल का भवन निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. मध्यप्रदेश विधान सभा की वर्ष 2012-13 की अवधि के लिये गठित समस्त सभा समितियों के कार्यकाल में वर्तमान त्रयोदश विधान सभा के कार्यकाल पर्यन्त वृद्धि

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

" मध्यप्रदेश विधान सभा की वर्ष 2012-2013 की अवधि के लिये गठित समस्त सभा समितियों के कार्यकाल में वर्तमान त्रयोदश विधान सभा के कार्यकाल पर्यन्त वृद्धि की जाय. "

निर्धारित समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन
30 मि. विधेयक, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2013
30 मि. (क्रमांक 2 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक,
2 घन्टे 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध विधेयक, 2013
2 घन्टे (क्रमांक 6 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(8) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013) पर विचार किया
30 मि. जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(9) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2013
30 मि. (क्रमांक 8 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(10) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों
1 घन्टा का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(11) श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2013
1 घन्टा (क्रमांक 10 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(12) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) पर
30 मि. विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 18 मार्च, 2013